NATIONAL LAW UNIVERSITY, JODHPUR

NH-62, NAGAUR ROAD, Mandore, Jodhpur-342304(Rajasthan)

PHONE 0291-2577530, 2577526, 5121594 FAX 0291-2577540

E-Mail: nlu-jod-rj@nic.in Web Site: www.nlujodhpur.ac.in

अनुपयोगी सामान नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. निविदा हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक आवेदकों को आवेदन के साथ रुपये 10,000/– धरोहर राशि, कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, जोधपुर के पक्ष में राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफट संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अनुपयोगी सामान के प्रकार के अनुसार उस पर लगने वाला GST व TCS खरीददार को अलग से जमा करवाना होगा।
3. नीलाम किया जाने वाला सामान इत्यादि "जैसा है जहॉ के आधार पर" वर्णित स्थल से नीलाम किया जायेगा।
4. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त अनुपयोगी सामान को दिनॉक 23 जुलाई, 2025 को दोपहर 11.00 बजे तक इस संस्थान में उपस्थित होकर देख सकते हैं। निविदा खुलने के बाद नीलाम किये जाने वाले अनुपयोगी सामान के संबंध में कोई आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी।
5. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिये। अधूरी , कॉट–छॉट एवं अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. निविदा सील बन्द लिफाफे में दिनॉक 23 जुलाई, 2025 को दोपहर 12.00 बजे तक कुलसचिव कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। डाक संबंधी विलम्ब के लिये विश्वविधालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदा पत्र के लिफाफे के उपर "अनुपयोगी सामान की नीलामी के लिये निविदा अवश्य लिखें।
7. निविदा उसी दिन अपरान्ह 1.00 बजे विश्वविधालय की समिति द्वारा खोली जायेगी।
8. सफल या उच्चतम् निविदा दाता / पार्टी को नीलामी के पश्चात् नीलाम किये गये अनुपयोगी सामान की स्वीकृत की गई अधिकतम् निविदा के अनुसार सम्पूर्ण राशि तीन दिन में जमा करानी होगी। यदि अधिकतम् स्वीकृत निविदा दाता सम्पूर्ण राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी जमा की गई धरोहर राशि विश्वविधालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
9. अनुपयोगी सामान नीलामी के सफलतम् अधिकतम् स्वीकृत दर निविदा दाता / फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को पंजिकृत डाक द्वारा लौटा दिया जायेगा।
10. निलाम किया गया अनुपयोगी सामान वर्णित स्थल से "जैसा है जहॉ के आधार पर" कार्यालय आदेश जारी होने से 07 दिन के भीतर उठाना अनिवार्य होगा। 15 दिन तक माल न उठाने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा जमा रकम जब्त कर ली जायेगी। नीलामी के नियम व शर्तो का उल्लंघन होने पर अनुपयोगी सामान पुनः निलाम कर दिया जायेगा और इस संबंध में उस पार्टी का कोई अधिकार मान्य नहीं होगा। नोट :– सामान कर्यालय समय प्रातः काल 10.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य कार्यालय कर्मी यथा सम्पदा अधिकारी की मौजूदगी में ही संबंधित संपूर्ण सामान उठाना होगा।
11. कुलसचिव, विश्वविधालय द्वारा बिना कोई कारण बताए निलामी को स्वीकृत / अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. निविदादाता को इन नियम व शर्तो को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म / पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा सूचना प्रपत्र, विविरण एवं नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेब साइट www.nlujodhpur.ac.in से डाउनलोड की जा सकती है।
13. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये। बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी।
14. नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, जोधपुर का होगा।
15. निविदादाता को अपनी पहचान का फोटो युक्त आई0डी0 प्रूफ,पेन संख्या, मोबाईल नम्बर एवं पूर्ण पता एवं निविदादता फर्म का GST Registration Number देना होगा।
16. नीलामी स्थल पर निविदा खोले जाते समय कानून एवं व्यवस्था का पालन करना होगा।
17. नीलामी हेतु माल के प्रकार के अनुसार माल के विवरणी में दर्शाये गये हैं जो कि संलग्न किये गये है। एवं इनकी न्यूनतम बोली 1,98,205/– रुपये निर्धारित की गई है। यदि किसी माल के सन्दर्भ में प्राप्त निविदाओं में कोट की गई उच्चतम् बिड यदि न्यूनतम बोली राशि से कम रहती है तो उस अनुपयोगी सामान की नीलामी नहीं की जायेगी।
18. यदि निलामी / निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में उपरोक्त विवरण / नियम / शर्ते स्वीकार्य हो तो प्रस्तुत निविदा प्रपत्र व इसके साथ संलग्न अनुसूचि (Schedule) में संबंधित अनुपयोगी सामान के विवरण के समक्ष अपनी नीलामी बोली अंकित कर सील बंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय या उससे पूर्व संस्थान के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डालें / प्रस्तुत करें।
19. दिनॉक 23 जुलाई, 2025 को नीलामी में भाग लेने वाले उच्चतम् बोली लगाने वाले व्यक्ति / फर्म जो सामान उठाने में असफल रहे वे अगली बोली में भाग नहीं ले सकते हैं तथा उनकी बोली लगाना अवैध माना जायेगा।